पत्रांक—1प्रा0आ0—13 / 2008....................................... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना—15, दिनांक—

विषयः— **पॉलीथीन शीट्स क्रय करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में गंगा नदी के जल—स्तर में हुए वृद्धि के कारण गंगा नदी से सटे जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा प्रभावितों के बीच तुरन्त पॉलीथीन शीट्स का वितरण किया जा रहा है। कतिपय जिलों में पॉलीथीन शीट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं रहने के कारण उनके द्वारा पॉलीथीन शीट्स की माँग की जा रही है। बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु पॉलीथीन शीट्स का क्रय करने का निदेश दिया गया है, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ जिलों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन शीट्स का क्रय नहीं किया गया है। फलतः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर उनके द्वारा विभाग से पॉलीथीन शीट्स की मांग की जाती है। आप अवगत है कि अग्नि, भूकम्प एवं चक्रवाती तूफान जैसी आपदाओं के आने पर भी पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तथा बाढ़ प्रवण जिलों से पॉलीथीन शीट्स गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भेजना पड़ता है। अतएवं यह आवश्यक है कि जिलों में पॉलीथीन शीट्स का भंडार हमेशा उपलब्ध रहें।

अतः किसी भी परिस्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन शीट्स के भंडारण की आवश्यकता के मद्देनजर सभी बाढ़ प्रवण जिले न्यूनतम 10 हजार पॉलीथीन शीट्स एवं गैर बाढ़ प्रवण जिले 5 हजार पॉलीथीन शीट्स क्रय कर भंडारण

करना सुनिश्चत करेगें। राशि आबादी निष्क्रमण मद से विकलनीय होगी। तद्नुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर विभाग को भेजी जाए।

यह भी अवगत हों कि आकस्मिक स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्रय करने की शक्ति प्रदत है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3175/आ0प्र0 दिनांक–24/8/16

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8

प्रधान सचिव

E:\Soni 2016\plastics sheets.docx